भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की
2 जून, 2020 की पोलिट ब्यूरो मीटिंग में पारित राजनीतिक रिपोर्ट

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति

कोविड – 19 महामारी

कोविड–19 महामारी पर काबू पाने की गंभीर लड़ाई में आज पूरी दुनिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण से गुजर रही है. अनेक देशों ने महामारी के अपने यहाँ फैलाव के आकलन के आधार पर भिन्न–भिन्न हदोंवाले लॉकडाउन को लागू किए हैं. इस महामारी ने सम्पूर्ण विश्व में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है.

यह महामारी दुनिया के 210 से अधिक देशों में फैल चुकी है. लगभग 60 लाख लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 4 लाख लोग जान गंवा चुके हैं (एक लाख से ज्यादा लोग अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं). भारत में 2 जून की स्थिति के अनुसार 1,01,077 मामले सक्रिय थे तथा 5,815 मौतें हो चुकी थीं.

यह तादाद असल में बहुत अधिक हो सकती थी, लेकिन बहुत से मामलों तक तो पहुंचा ही नहीं जा सका है. मृतकों की संख्या में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है तथा सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं लगभग थम सी गयी हैं. विश्वस्तरीय मंदी अब एक हकीकत होने जा रही है.

विकसित पूंजीवादी देशों में मौतें आनुपातिक रूप से काफी अधिक हुयी हैं. बहरहाल, इसमें अचरज की कोई बात नहीं है. हालांकि इस महामारी के प्रकोप के बहुत ही साफ संकेत मिल रहे थे, इसके बावजूद पूंजीवाद की लूटेरी मुहिम ने जनता के मुकाबले अपने मुनाफों को ज्यादा तरजीह दी जिसके वहां की अर्थव्यवस्थाएं इस महामारी के सामने कमजोर पड़ गयी. कार्पोरेटों तथा बाजारों को, जिनको मानव सभ्यता के सामने आयी सभी चुनौतियों का रामबाण इलाज माना गया था, जनता तक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार पर खर्चा करने में कोई फायदा नजर नहीं आया.

स्वास्थ्य के भारी भरकम बजट के बावजूद सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बहुत हद तक निजी बीमा तथा बड़े दवा कार्पोरेटों घरानों की दया पर छोड़ दिया गया था. देशों के अन्दर तथा उनके बीच बढ़ती गैर बराबरी ने पूंजीवादी दुनिया को महामारी के प्रकोप की उपजाऊ जमीन बना दिया.

इसलिए, आश्चर्य की बात नहीं कि अमेरिका, ब्रिटेन तथा ब्राजील जैसे देशों में, जहां धुर दक्षिणपंथी नव उदारवादी राजसत्ताएं बहुत ही आक्रामक हैं, भयावह विनाश हुआ है. ये ही वे देश भी हैं, जहां महामारी का सामना करने की तैयारियों में वैज्ञानिक राय–मशवरों को कोई तरजीह नहीं दी गयी.

इस कोविड–19 महामारी से बचाव के लिए जब तक किसी टीके की खोज नहीं कर ली जाती, तब तक विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों को लागू किया जाता रहेगा, और यह वायरस

लोगों की जान लेता रहेगा. लेकिन अंततः मनुष्य जाति जिंदा रहेगी. सवाल बस इतना है कि कितनों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है.

समाजवादी देशः इसके विपरीत समाजवादी देशों ने, जिनके यहाँ एक सार्वजनिक स्वास्थ्यरक्षा व्यवस्था लागू है, इस महामारी का सामना बहुत बेहतर ढंग से किया है, जिससे कम से कम मौतें हुयी हैं. इस सम्बन्ध में समाजवादी देश खास तौर पर बेहतर स्थिति में रहे हैं, जहां टेस्टिंग सहित कोविड का पूरा इलाज मुफ्त किया जा रहा है. चीन में 4,634 मौतों सहित लगभग 83,000 मामले रहे हैं, बाकी सब ठीक हो गए हैं. वर्तमान में वहां 83 सक्रिय मामले ही बचे हैं. क्यूबा में 82 मौतों सहित 1,689 मामले रहे हैं. विएतनाम में कोविड–19 की वजह से कोई मौत नहीं हुयी है. फिलहाल वहां 58 सक्रिय मामले बचे हैं. इसी प्रकार, लाओस में कोविड–19 की वजह से कोई मौत नहीं हुयी है, और वर्तमान में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 19 है. अलग थलग उत्तरी कोरिया ने कोई सक्रिय मामला रिपोर्ट नहीं किया है.

चीन के अनुसार अकेले हुबेई प्रांत में 80 से अधिक उम्र के 3,600 प्रभावित लोगों की जान बचा ली गयी है. इसके राजधानी शहर वुहान में कई सारे सौ वर्षीय बीमारों को बचाया गया है, जिनमें 108 वर्ष के सबसे अधिक उम्र के बीमार भी शामिल हैं. चीन ने लगभग 150 देशों तथा 4 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को चिकित्सा सहायता भेजी है. इसने बड़ी संख्या में मास्क एवम बचाव उपकरणों का निर्यात किया है. क्यूबा ने विश्व के लगभग 50 देशों को मेडिकल टीम तथा दवाइयां भिजवायीं हैं. महामारी से निपटने में समाजवादी व्यवस्थाओं की श्रेष्ठता आश्चर्यजनक रूप से जाहिर हुयी है.

केरलः भारत में केरल की वाम–लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार ने इस महामारी से निपटने का एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है. 'केरल मॉडल' को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुयी है, तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी सराहना की है (विवरण संलग्नक में प्रस्तुत किये गए हैं).

वैश्विक अर्थव्यवस्था

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोविड–19 को वैश्विक महामारी घोषित करने से पहले पार्टी ने केरल में जनवरी में आयोजित पार्टी की केन्द्रीय कमेटी की बैठक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के गंभीर रूप से धीमे होकर मंदी की ओर चले जाने की बात नोट की थी. इस महामारी तथा बाद के लॉकडाउन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को और अधिक बुरी तरह प्रभावित किया है. सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के बड़ी हद तक सिकुड़ जाने की भविष्यवाणी की है, जो 2021 में भी जारी रहेगी.

संयुक्त राष्ट्र संघ की 'विश्व आर्थिक परिस्थिति एवम संभावनाओं' में यह आशंका जतायी है कि 2020 में विश्व अर्थव्यवस्था में 3.2 प्रतिशत संकुचन हो सकता है. वर्ष 2020 एवम 2021 के दौरान उत्पादन में अनुमानित 8.5 ट्रिलियन डॉलर की संचित कमी से पिछले चार वर्षों की सभी उपलब्धियां समाप्त हो जायेंगी. विश्व बैंक ने जीडीपी में 3.9 प्रतिशत की कमी का

अनुमान लगाया है. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी, 2020 में वैश्विक आय में 3 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की भविष्यवाणी की थी, जिसे अब मई में 3 प्रतिशत की कमी में बदल दिया गया है, जो कि उस वैश्विक संकट से बदतर है, जिसकी शुरुआत 2008 के वाल–स्ट्रीट के धड़ाम गिर जाने से हुयी थी.

वैश्विक उत्पादन में इस संकुचन का स्वाभाविक रूप से जनता की आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा, जिससे गरीबी और बेरोजगारी में बढ़ोत्तरी होगी, तथा विश्व व्यापार एवम विदेशी निवेश में संकुचन से आर्थिक सम्पन्नता के व्यापक स्तर में गिरावट आएगी.

विश्व व्यापार संगठन ने 2020 में विश्व उत्पाद व्यापार में 13 से 32 फीसद की कमी का अनुमान लगाया है. संयुक्त राष्ट्र संघ ने आकलन किया है कि माल और सेवाओं के विश्व व्यापार में वास्तविक रूप से 15 प्रतिशत की कमी आनी है. विश्व बैंक ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 35 फीसद से अधिक की कमी की भविष्यवाणी की है, जिसमें से अकेले दक्षिण एशिया में वर्ष 2020 में 22 प्रतिशत की कमी आएगी, जो 110 बिलियन डॉलर के करीब बैठता है.

वैश्विक गरीबी

संयुक्त राष्ट्र संघ की मानें तो इस वर्ष लगभग साढ़े तीन करोड़ अतिरिक्त लोग, जिनमें से ज्यादातर अनौपचारिक क्षेत्र के कामगार होंगे, चरम गरीबी रेखा के नीचे पहुंच जायेंगे. विश्व बैंक का आकलन बताता है कि पिछले तीन वर्षों के गरीबी उन्मूलन के प्रयासों के सभी लाभों को मिटाते हुए 6 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में प्रवेश कर जायेंगे. यूएनडीपी का आकलन है कि 'वैश्विक मानव विकास' में, जो कि विश्व शिक्षा, स्वास्थ्य एवम जीवन स्तर का एक संयुक्त नाप है, पिछले तीस वर्षों में पहली बार गिरावट आएगी. दुनिया के सभी देशों में, उनके अन्दर एवम उनके बीच, शैक्षणिक खाई का और अधिक चौड़ा हो जाना निश्चित है, क्योंकि 120 देशों में स्कूल तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं को बंद कर दिया गया है, जिससे पूरी दुनिया में 125 करोड़ बच्चे तथा युवा प्रभावित हुए हैं.

इसी प्रकार विश्व खाद्यान्न कार्यक्रम का अंदाजा है कि 26.5 करोड़ लोगों को भूख के संकट के स्तर पर धकेल दिया जाएगा. यदि सरकारों द्वारा रोकथाम की कार्यवाई नहीं की जाती है तो वे लोग मौत के मुंह में जा सकते हैं.

गैर बराबरियां: वैश्विक आर्थिक सुस्ती जारी रहने के बावजूद, जिसमें कोविड–19 महामारी तथा लॉकडाउन के कारण और अधिक गिरावट आयी है, वैश्विक कोरपोरेटों में से अत्यधिक धनवानों की संपत्ति में कई गुना बढ़ोत्तरी हुयी है. अमेरिका के 614 अरबपतियों की कुल संपत्ति में मात्र 23 दिनों में 280 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुयी है (डब्ल्यू7 न्यूज, 28 अप्रैल, 2020).

इसी प्रकार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा में, खासकर घरेलू हिंसा में बढ़ोत्तरी की परेशान करने वाली खबरें भी आ रही हैं.

बेरोजगारी

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने अनुमान लगाया है कि अगले कुछ महीनों में कामगार लोगों की आधी संख्या बेरोजगार हो जायेगी. दुनिया के हर देश में बेरोजगारी के स्तर में जबरदस्त उफान आया है. अमेरिका में अप्रैल महीनले में 2.05 करोड़ नौकरियां समाप्त हुयी हैं तथा ब्रिटेन में 21 लाख लोगों ने बेरोजगारी के दावे पंजीकृत किये हैं, जो कि अप्रैल में 69 प्रतिशत का उछाल प्रदर्शित करता है. योरोप के लगभग सभी देश दहाई के अंकों की बेरोजगारी के स्तर से गुजर रहे हैं. एशियन डेवलपमेंट बैंक का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर 15.8 से लेकर 24.2 करोड़ के बीच रोजगार में कमी होगी, जिनका 70 फीसद हिस्सा एशिया और प्रशांत देशों का होगा. विश्व स्तर पर श्रम आय में 1.2 ट्रिलियन से 1.8 ट्रिलियन डॉलर तक की गिरावट होगी.

अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूर सबसे बुरी तरह प्रभावित होंगे. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अनुमान है कि वर्तमान में 160 करोड़ कामगार लोगों पर प्रतिकूल असर पड़ा है.

पूंजीवाद का दिवालियापनः दुनिया के पैमाने पर इस संकट का समाधान करने की पूंजीवाद की बढ़ती असमर्थता हर मामले में रोज ब रोज जाहिर होती जा रही है. कोरोना वायरस के प्रकोप का एकाग्रता से सामना करने के मामले में, मिलकर एक टीके को विकसित करने के मामले में तथा आर्थिक परेशानियों को दूर कर लोगों को राहत पहुंचाने के मामले में यह असमर्थता जाहिर हो रही है. राहत और सुरक्षा प्रदान करने के लिए लोग विश्व स्तर पर एक अधिक निर्णायक राजकीय हस्तक्षेप की अधिक से अधिक गुहार लगा रहे हैं. इस महामारी के दौरान निजीकरण तथा सार्वजनिक सेवाओं के व्यवसायीकरण के, खास कर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के व्यवसायीकरण के नव उदारवादी नुस्खों ने अपने दुष्प्रभाव को जाहिर कर दिया है. स्पेन जैसे देशों को अपने देश की निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करना पड़ा है. सार्वजनिक कल्याण तथा सेवाओं की कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के नेतृत्व में नव–उदारवादी वैश्वीकरण के अंतर्गत मुनाफों को बढाने की तीव्र इच्छा, असल में इस प्रकृति के किसी स्वास्थ्य संकट का सामना करने की क्षमता को कमजोर बना देती है. वैश्विक उत्पादन में गिरावट का हमारी जनता की जीविका पर विनाशकारी असर पड़ेगा. नव–उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी तथा बड़े कारोबारियों को जहां राहत के नाम पर बड़े पैकेज प्रदान किए गए हैं, वहां संकट का सारा बोझ कामगार जनता के ऊपर डाल दिया गया है. उनकी जीविका का और अधिक दोहन होगा. मजदूर वर्ग को खास तौर पर निशाने पर लिया जाएगा. ऐसे हालात वर्ग संघर्ष को और अधिक तीव्रता प्रदान करने वाले होंगे.

अमेरिकी साम्राज्यवाद की प्रभुत्ववादी मुहिम

वर्तमान परिस्थिति बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपेक्षा रखती है, ताकि महामारी के प्रकोप का सामना किया जा सके तथा करोड़ों लोगों की दुश्वारियों को दूर किया जा सके. लेकिन इन दोनों ही मायनों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिका ने इस महामारी

के बहाने अपने वैश्विक प्रभुत्व को मजबूत करने की मुहिम चलाई हुयी है. इससे एक बार फिर से साम्राज्यवाद का मानवताविरोधी क्रूर चरित्र उजागर हो जाता है.

विश्व स्तर पर वैज्ञानिक सहयोग के बजाय डोनाल्ड ट्रम्प ने महामारी का दोष चीन के सिर पर मढ़ कर उसके खिलाफ दुष्प्रचार शुरू कर दिया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन का बचाव करने का आरोप लगाकर ट्रम्प ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत इस प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को अलग कर दिया है. शुरू में तो ट्रम्प ने चीन पर प्रशंसा की बारिश कर डाली थी, जिस प्रकार उसने व्यापक टेस्टिंग, संपर्क अनुरेखण, विलगता तथा क्वारंटाइन के जरिये महामारी का सामना किया था. लेकिन अमेरिका इनमें से किसी का भी वैज्ञानिक ढंग से अनुसरण नहीं कर रहा है. दुर्भाग्य से दूसरे अन्य देश भी ऐसा नहीं कर रहे हैं. समाजवादी देशों के अलावा दक्षिण कोरिया, ताइवान, और सिंगापुर महामारी के फैलने के वक्र को सीधा करने में कामयाब हुए हैं. इसके अतिरिक्त, अमेरिका ने अपने निकट सहयोगियों, जिनमें अनुदारवादी टोरी सरकार के तहत ब्रिटेन भी शामिल है, के साथ पेटेंट अधिकारों को छोड़ देने से मना करके कोविड विरोधी टीके की, जब भी उसका विकास हो, सार्वभौमिक उपलब्धता का विरोध किया है. ऐसा है पूंजीवाद का लुटेरा चरित्र, जिसको मौत में भी मुनाफों की चिंता सताती रहती है.

यह स्पष्ट है कि ट्रम्प का इरादा एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत हासिल करने का है। इसके साथ ही साथ और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि अमरीका का इरादा कोविड के बाद की दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करने का है. लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिस प्रकार ट्रम्प प्रशासन ने अपने यहां कोविड महामारी का कुप्रबंधन किया है, उससे अमेरिका की छवि को धक्का लगा है.

इस छवि को मिनियापोलिस पुलिस द्वारा जॉर्ज फ्लॉयड की न्रशंस हत्या के बाद और भी बड़ा धक्का पहुंचा है. नस्लवादी घृणा तथा हिंसा का बढ़ना जारी है तथा बड़े पैमाने पर पैदा हुए विरोध से निपटने के ट्रम्प के तरीकों से स्थिति और अधिक बिगड़ गयी है. ट्रम्प के नेतृत्व में अमेरिकी प्रशासन यह सुनिश्चित करने में असमर्थ रहा है कि न्याय प्रदान किया जा सके तथा ऐसी नस्लीय हिंसा को बढ़ावा देने वाले अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सके.

अमेरिकी साम्राज्यवाद की समझ यह है कि कोविड बाद के विश्व में चीन अधिक मजबूत होकर उभर सकता है और इसलिए वह आज उस पर घात लगाए हुए है. लेकिन, अमेरिका के नेतृत्व में चीनविरोधी संयुक्त अभियान के बावजूद चीन ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि उसने अपने यहां महामारी से निपटने में प्रभावी कार्यवाही की और अब वह अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की बेहतर स्थिति में है. इस घटनाक्रम से सभी प्रमुख वैश्विक अंतर्विरोधों को प्रभावित करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.

चीन की सरकार ने अपनी नेशनल पीपल्स कांग्रेस को रिपोर्ट किया कि इस वर्ष लगभग 4 प्रतिशत की जीडीपी की गिरावट पर काबू पा लिया जाएगा तथा गरीबी को समाप्त करके एवम सभी प्रकार से कुछ हद तक एक समृद्ध समाज का निर्माण करके 2020 के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा. उनकी उम्मीद है कि 90 लाख नई शहरी नौकरियां पैदा की जा सकेंगी, 30 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन प्रदान की जा सकेगी, 140 करोड़ चीनी नागरिकों के लिए जरूरी खाद्यान्न सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा जनता की आमदनी में और अधिक वृद्धि की जा सकेगी. चीन की अर्थव्यवस्था में ऐसी प्रगति, कोविड बाद की दुनिया में अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व को गंभीर चुनौती प्रदान करने वाली होगी.

अमेरिकी हस्तक्षेपः अपने वैश्विक प्रभुत्व को बनाए रखने की चाह में अमेरिका संप्रभु देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना जारी रखे हुए है. 12 मई को, जब पूरी दुनिया महामारी के प्रकोप का सामना करने में लगी हुयी थी, अमेरिका के विदेश विभाग ने 'आर्म्स एक्सपोर्ट कण्ट्रोल एक्ट' (हथियार निर्यात नियंत्रण कानून) की धारा 40 ए (ए) के तहत ईरान, उत्तरी कोरिया, सीरिया, वेनेजुएला तथा क्यूबा को वर्ष 2019 में अमेरिका की आतंकवाद विरोधी मुहिम का 'पूरी तरह सहयोग न करने' के लिए अधिसूचित कर दिया. अमेरिकी प्रशासन ने एक अमेरिकी सुरक्षा कंपनी के नेतृत्व में भाड़े के लोगों को राष्ट्रपति मादुरो का तख्ता पलट करने के लिए भेजा था, जिसको वेनेजुएला के सुरक्षा बलों ने असफल कर दिया था.

क्यूबा का कहना है कि चीन के अलीबाबा ग्रुप द्वारा दानस्वरूप भेजे गए टेस्ट किट, मास्क, तथा श्वासयंत्र क्यूबा तक पंहुच ही नहीं पाए, क्योंकि जिस अमेरिकन कंपनी को उपकरणों की ढुलाई का काम सौंपा गया था, उसको अमेरिका के प्रतिबन्ध नियमों के उल्लंघन का डर सता रहा था. ईरान एवम वेनेजुएला को भी अमेरिका के कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के बोझ तले महामारी का सामना करना पड़ रहा है, जिनके तहत तुरंत आवश्यक मेडिकल उपकरणों के आयात तथा धन तक उनकी पहुंच बाधित हो गयी है. अमेरिका के इशारे पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वेनेजुएला तथा ईरान को कोविड का सामना करने के लिए आपातकालीन फण्ड उपलब्ध कराने से मना कर दिया. ट्रम्प प्रशासन को उम्मीद है कि ईरान, वेनेजुएला तथा क्यूबा की सरकारें कोरोना वायरस के संकट के बोझ तले दबकर स्वयं ही गिर जायेंगी. संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी क्यूबा, ईरान एवम वेनेजुएला जैसे देशों के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने का आह्वान किया था, ताकि वे देश निहायत जरूरी मेडिकल उपकरण, अनाज तथा अन्य आपूर्तियों को प्राप्त करने में सफल हो सकें, मगर अमेरिका ने उस आह्वान को तिरस्कार के साथ अस्वीकार कर दिया है.

वित्तीय प्रोत्साहन पैकेज

अपने अपने देश में अर्थव्यवस्था को बर्बादी से बचाने तथा जनता को राहत पहुंचाने के लिए दुनिया के लगभग सभी देशों ने वित्तीय प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की है. अमेरिका ने जहां अपने जीडीपी के 13 प्रतिशत की घोषणा की है, वहीं जापान ने 20 प्रतिशत की, स्वीडन

12 प्रतिशत की, जर्मनी 10.7 प्रतिशत की, फ्रांस 9.3 प्रतिशत की, स्पेन 7.3 प्रतिशत की तथा इटली ने 5.7 प्रतिशत के बराबर पैकेजों की घोषणा की है.

इनमें से अधिकतर पैकेजों में सरकार के सीधे खर्चों के साथ–साथ वहां की सरकारों ने ऋण और गारंटी के प्रावधान भी शामिल किये हैं. लेकिन इन दोनों को अलग रख कर देखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रोत्साहन के मायने होते हैं सरकार द्वारा अतिरिक्त खर्चा किया जाना, न कि ऋण एवम अग्रिमों राशि के रूप में अतिरिक्त प्रावधानों का किया जाना. इस प्रकार इन्हें अलग करने के बाद पता चलता है कि मुख्य देशों में से केवल अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया. चीन, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, रूस, तुर्की तथा मेक्सिको ही ऐसे देश हैं जहां ऋण के प्रावधान के साथ ही साथ सीधे खर्चों का प्रावधान भी है. भारत इस सूची में सबसे निचले पायदान पर है, क्योंकि इसके प्रोत्साहन पैकेज में सीधे सरकारी खर्चा का हिस्सा सबसे छोटा है– जीडीपी का लगभग 1 प्रतिशत, जबकि घोषित पैकेज जीडीपी का 10 प्रतिशत बताया गया है।

राष्ट्रीय स्थिति

कोविड–19 महामारी के प्रकोप से पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था मंदी में प्रवेश कर रही थी. वर्ष 2019–20 के जीडीपी के आंकड़ों को 29 मई को आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है. यह ग्यारह वर्षों में सबसे कम यानी 4.2 प्रतिशत रहा है, जबकि 2018–19 में यह आंकड़ा 6.1 प्रतिशत रहा था. जनवरी–मार्च, 2020 की चौथी तिमाही में जीडीपी की विकास दर 3.1 प्रतिशत तक खिसक गयी है, जबकि 28 फरवरी को जारी द्वितीय अग्रिम आकलन में यह पूर्वानुमान लगाया गया था कि जीडीपी की विकास दर 5 प्रतिशत रहने वाली थी. तमाम अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों एवम स्वतंत्र देशी संस्थाओं ने आकलन किया है कि जीडीपी की दर में गिरावट इससे कहीं अधिक है. यह आंकड़ा मार्च के आखिरी सप्ताह को छोड़कर लॉकडाउन से पहले के समय से सम्बंधित है. महामारी ने तथा बाद के लॉकडाउन ने तो आर्थिक गतिविधि के बड़े हिस्सों को और भी अधिक नुकसान पहुंचाया है, जिसने हमारी जनता के बहुसंख्यक लोगों की जीविका को बुरी तरह प्रभावित किया है.

महामारी की चेतावनियां

महामारी के कारण दुनिया की पहली मौत की सूचना चीन के वुहान में दिसम्बर, 2019 के अंत में दी गयी थी. संभावित वैश्विक फैलाव से पूरी दुनिया को आगाह कर दिया गया था, तथा कई देशों ने रोकथाम के उपाय करना आरम्भ भी कर दिए थे. लेकिन भारत में तब रोकथाम की ऐसी कोई गतिविधि शुरू नहीं की गयी थी.

भारत में पहला पॉजिटिव केस 30 जनवरी को केरल में रिपोर्ट किया गया था. केरल की एलडीएफ सरकार ने वैश्विक चेतावनी के तुरंत बाद इस संभावना के नद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी थीं कि जब लोग, खासकर केरल से गए छात्र, वुहान से तथा दुनिया के अन्य हिस्सों से वापस आयेंगे, तो हो सकता है कि वे खतरनाक वायरस से प्रभावित हों. इसलिए,

किसी पॉजिटिव केस की सूचना होने से पहले ही 20 जनवरी तक जिला नियंत्रण केन्द्रों ने वहां काम करना शुरू कर दिया था.

केंद्र सरकार द्वारा फरवरी के पूरे महीने तथा मार्च के पहले तीन हफ्तों के दौरान कोई कदम नहीं उठाये गए. इस दौरान, कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जिनमें बड़ी संख्या में लोग इकठ्ठा हुए, लेकिन जिनमें दूरी बनाए रखने, मास्क तथा सैनेटाइजरों का प्रयोग करने जैसी सावधानियां नहीं बरती गयीं. हकीकत ये है कि इन उपायों से सम्बंधित कोई सामाजिक जागरूकता अभियान नहीं चलाया गया था. फरवरी एवम मार्च के महीनों के दौरान अहमदाबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग इकठ्ठा हुए थे. नमस्ते ट्रम्प आयोजन में 24 फरवरी को लाखों लोगों को अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में इकठ्ठा किया गया था. तबलीगी मरकज का दिल्ली में आयोजन किया गया था, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे देशों से प्रतिनिधि आये थे, जहां महामारी उफान पर थी. इन कार्यक्रमों के आयोजक गैरजिम्मेदार ही माने जायेंगे, क्योंकि उन्होंने इन हालातों में कार्यक्रमों का आयोजन किया. इन कार्यक्रमों के लिए सभी तरह आवश्यक अनुमतियों तथा वीजा मंजूरियों को केंद्र सरकार द्वारा ही प्रदान किया गया था. इसके विपरीत, महाराष्ट्र सरकार को एक ऐसे ही कार्यक्रम के लिए अनुमति प्रदान नहीं की थी. संसद का अधिवेशन भी 23 मार्च तक जारी रहा था, जब उसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था. उसी शाम, विधायकों की खरीद फरोख्त के जरिये जनतांत्रिक तरीके से चुनी गयी सरकार को गिराकर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ने शपथ ग्रहण की थी. भोपाल में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे.

राष्ट्रीय लॉकडाउनः इसी अवधि में प्रधान मंत्री ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था. 24 मार्च को उन्होंने 21 दिनों के राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा की और इसके लिए देश को, प्रदेश सरकारों को तथा लोगों को मात्र चार घंटे का वक्त दिया गया था. तबसे इस लॉकडाउन को तीन बार बढ़ाया गया. लेकिन 25 मई से कुछेक वाणिज्यिक एवम व्यावसायिक गतिविधियों की शुरुआत के लिए तथा लोगों की आवाजाही के लिए प्रतिबंधों में छूट प्रदान की गयी हैं. 24 मार्च को भारत में 564 सक्रिय मामले थे तथा 10 मौतें बतायी गयी थीं. 24 मई को सक्रिय मामलों की संख्या 73,560 तथा मौतों की संख्या 3,867 तक पहुँच गयी थीं. अब चूंकि लॉकडाउन प्रतिबंधों में रियायत दे दी गयी हैं, तब हर दिन और अधिक मामले तथा मौतों की रिपोर्टें सामने आ रही हैं.

लॉकडाउन कोई समाधान नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की जनता को फुसलाने की कला ने लोगों को यह मान लेने के लिए विवश कर दिया था कि जैसे महाभारत युद्ध को 18 दिनों में जीता गया था, उसी प्रकार महामारी के खिलाफ जंग को भारत 21 दिनों में जीत लेगा. लेकिन लॉकडाउन लागातार जिस मुसीबत को लोगों पर थोपे जा रहा है, वह एक भयंकर हकीकत में तब्दील हो गयी है.

सामान्यतः देश महामारी को फैलने से रोकने के लिए तभी लॉकडाउन लागू करते हैं जब उसका प्रकोप उफान पर होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महामारी का ऊपर चढ़ता वक्र चपटा हो जाए. लेकिन भारत के मामले में लॉकडाउन के दरम्यान महामारी का वक्र लगातार चढ़ता गया है, और प्रतिबंधों में ढील से इसके फूट पड़ने की संभावना पैदा हो गयी है.

स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोत्तरी नहीं: लॉकडाउन की अवधि को मेडिकल एवम अस्पताल सुविधाओं में बढ़ोत्तरी करने, डॉक्टरों एवम स्वास्थ्यकर्मियों को पीपीई किट प्रदान करने, तथा बड़े स्तर पर टेस्ट की तैयारी करने के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए था. लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से पहले अथवा लॉकडाउन के दौरान इनमें से किसी भी मुद्दे में सुधार का प्रयास नहीं किया. भारत का प्रति एक हजार की जनसंख्या पर 0.8 डॉक्टर तथा 0. 7 बिस्तर होने का बहुत खराब रिकॉर्ड है. असल में तो निजी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं को कोविड–19 मरीजों के उपचार के लिए केंद्र सरकार द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया जाना चाहिए था. लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हो नहीं पाया है. स्पेन जैसे देशों ने अपनी निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया है. पीपीई किट अभी भी कम संख्या में उपलब्ध हो पा रही हैं. भारत में टेस्टिंग की दर दुनिया में सबसे कम है। अभी प्रति हजार मात्र 2.1 टेस्ट ही किये जा रहे हैं. इस प्रकार, केंद्र सरकार द्वारा महामारी को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाये जाने से लॉकडाउन का उद्देश्य पूरी तरह विफल हो गया है.

लोगों की तकलीफें: अनियोजित, अवैज्ञानिक तथा अकस्मात् लागू लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को तथा हमारी जनता के बड़े हिस्सों की जीविका को तबाह कर दिया है. प्रवासी मजदूर तो सबसे बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जो दो महीनों के बाद भी अपने घरों को वापस जाने के लिए सडकों पर पैदल चलने को मजबूर हैं. अगर लॉकडाउन की तैयारी के लिए कुछ अधिक वक्त दिया गया होता तो इनमें से बहुत से प्रवासी मजदूर अपने घरों को अपने खर्चे पर वापस लौट गए होते. लॉकडाउन की अचानक घोषणा ने इन लोगों को इन मुश्किलों में डाल दिया था, लेकिन बीजेपी की केंद्र सरकार ने उनको परिवहन की मुफ्त सुविधा उपलब्ध कराने से इंकार कर दिया. जब श्रमिक स्पेशल रेल गाड़ियां चालू की गयीं, तब भी केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों से भारतीय रेल को अग्रिम भुगतान करने की मांग कर दी गयी थी. राज्य सरकारों पर एक विवेकहीन, अकस्मात् एवम एकतरफा लॉकडाउन के दुष्परिणामों को भुगतने का बोझ डाला जा रहा है. इसके बावजूद प्रधानमंत्री के नाम पर एक प्राइवेट ट्रस्ट में हजारों करोड़ रुपये जमा किये जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकारों को कोई आर्थिक मदद प्रदान नहीं की जा रही है.

वित्त मंत्री का दावा है कि 8.5 करोड़ ऐसे प्रवासी मजदूर हैं जो घर वापस जाना चाहते हैं. भारत की संसद को सूचित किया गया था कि प्रवासी मजदूरों की संख्या लगभग दस

करोड़ है. कुछ दूसरे आकलन उनकी संख्या 14 करोड़ बताते हैं. बहरहाल, संख्या उनकी चाहे जितनी हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस औचक लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोगों को अपार कष्ट झेलने पड़े हैं.

नकदी हस्तांतरण एवम मुफ्त अनाजः लॉकडाउन की घोषणा के दिन से पार्टी ने आयकर की श्रेणी से बाहर के सभी परिवारों को नकदी हस्तांतरण तथा केन्द्रीय गोदामों में जमा अनाज के भारी भरकम भण्डार (7.7 करोड़ टन) से मुफ्त अनाज के वितरण की मांग की थी. वर्तमान रबी की फसल खरीद से इस भण्डार में और इजाफा हो रहा है. लेकिन केंद्र सरकार ने जनता को भूख और बेरोजगारी के भरोसे छोड़कर ऐसा कुछ करने से इनकार कर दिया है.

आर्थिक प्रभाव

बेरोजगारीः सी.एम.आई.ई. के आकलन के अनुसार लॉकडाउन के दौरान लगभग 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं. केवल अप्रैल से लेकर मई के बीच बेरोजगारी की दर 23.5 से बढकर 27.1 प्रतिशत हो गयी है. वर्ष 2019–20 के दौरान औसत रोजगार लगभग 40.4 करोड़ थे, जो अप्रैल, 2020 में अर्थात लॉकडाउन के पहले महीने में घटकर 28.2 करोड़ रह गए। अर्थात उनमें लगभग 30 प्रतिशत की कमी आयी.

अधिकतर नुकसान दिहाड़ी मजदूरों, अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों तथा छोटे व्यापारियों को झेलना पड़ा है. इन क्षेत्रों में 2019–20 के दौरान औसतन 12.8 करोड़ लोग काम करते थे. अप्रैल के आखिर तक यह संख्या घटकर 3.7 करोड़ रह गयी थी, अर्थात केवल एक माह में 9. 1 करोड़ लोगों को रोजगार हानि हुयी. इनके अलावा, बड़े उद्यमों में कार्यरत लोगों का 23 प्रतिशत हिस्सा बेरोजगार हो गया है अर्थात इनकी संख्या 2019–20 के 7.8 करोड़ से घटकर अप्रैल, 2020 में 6.0 करोड़ रह गयी. कारोबार में लगे 1.8 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं. इसी प्रकार, वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या 2019–20 के 8.6 करोड़ से घटकर अप्रैल, 2020 में 6. 8 करोड़ हो गयी है अर्थात प्रति पांच में से एक कर्मचारी बेरोजगार हो गया है.

बेरोजगारी का हमारे युवा वर्ग पर असर कुछ अधिक परेशान करने वाला है. 20 से 29 वर्ष तक की आयु वर्ग के 2.7 करोड़ युवा बेरोजगार हुए हैं. इसी प्रकार, 30 से 39 वर्ष तक की आयु वर्ग के 3.3 करोड़ युवा बेरोजगार हो गए हैं.

उद्योगः हालांकि लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था के ऐसे क्षेत्रों को, जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के 54 प्रतिशत से अधिक बैठते हैं, छूट प्राप्त थी, तब भी इसमें काफी हद तक गिरावट आयी है. अकेले मार्च महीने में,जिसके कि सबसे ताजे आंकड़े उपलब्ध हैं, पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में 17.8 प्रतिशत की, कोयले की खपत में 10.3 प्रतिशत की, स्टील उत्पादन में 27.4 प्रतिशत की, तथा विद्युत् उत्पादन में 8.8 प्रतिशत की गिरावट आयी है. बिजली की खपत लॉकडाउन से पहले की 3.5 बिलियन यूनिटों की तुलना में मार्च के आखिर में 2.8 बिलियन यूनिट ही रह गयी थी. इसी प्रकार, यूरिया, खाद्य उत्पाद, चीनी

इत्यादि सभी अन्य उपभोक्ता उत्पादों की बिक्री में गिरावट आयी है. इनमें से अधिकतर आंकड़े मार्च के आखिर के हैं, जब तक कि लॉकडाउन का वास्तविक प्रभाव जाहिर नहीं हो पाया था. अप्रैल और मई के आंकड़े जब भी प्रकाशित होंगे, तब निश्चित रूप से हालात बदतर ही निकालेंगे.

लॉकडाउन के दौरान मुनाफाखोरीः उत्पादन और सेवाओं में इस प्रकार की लगातार चौतरफा गिरावट के बावजूद भारत में अत्यधिक धनी वर्ग की संपत्ति में जबरदस्त उछाल आया है. रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अम्बानी की दौलत में, अप्रैल, 2020 के आखिर तक 17.7 बिलियन डॉलर की बढ़ोत्तरी होकर कुल संपत्ति 49.9 बिलियन डॉलर हो गयी है, जिससे अब वह एशिया का सबसे धनी व्यक्ति हो गया है. जैसा कि जनवरी की पार्टी केंद्रीय कमेटी मीटिंग में नोट किया गया था, कोरोना पूर्व की अवधि में पहले से ही भारत में आमदनी में गैरबराबरी बेहूदा स्तर तक पहुँच गयी थी—जनसंख्या के एक प्रतिशत सबसे अधिक धनी हिस्से ने जनसंख्या की तलहटी के 70 फीसद हिस्से की संपत्ति का चार गुना हड़प रखा है.

कृषिः बेमौसम की बरसात के कारण 2019 की खरीफ फसल में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए रबी की फसल उगाने वाले मुख्य राज्यों के किसानों ने 2020 में फसल बुवाई के क्षेत्र में काफी बढ़ोत्तरी की थी. उनको भरपूर पैदावार की उम्मीद है. भारतीय खाद्य निगम ने गेंहू की रिकॉर्ड खरीद होने की बात कही है. लेकिन, दूसरी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं की जा रही है, जिससे किसानों को औने—पौने दामों पर अपनी फसलें बेचनी पड़ रही है. इसका नतीजा होगा उनकी ऋण ग्रस्तता में बढ़ोत्तरी. 2020 की खरीफ की फसल की जून में तैयारी शुरू होनी है. खाद, बीज तथा अन्य जरूरी वस्तुओं की जबरदस्त किल्लत चल रही है. अभी तक सरकार ने कोई इन्तेजामात नहीं किये हैं.

प्रमुख मुद्देःपार्टी के अनुभव

सभी राज्यों में लोगों को राहत पहुंचाने तथा स्वास्थ्य संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने में पार्टी की राज्य कमेटियां तथा सभी जनसंगठन सक्रिय रहे हैं. पार्टी केंद्र ने राज्य कमेटियों से रिपोर्ट भेजने के लिए कहा था, जिनको केंद्रीय कमेटी के सभी सदस्यों तथा राज्य कमेटियों के बीच प्रसारित कर दिया गया है. इन रिपोर्टों से निम्नांकित प्रमुख मुद्दे सामने आए हैं, जिन पर पार्टी को गौर करना होगा.

स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचाः केरल के अलावा बाकी सभी राज्यों में स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा बहुत खराब हालत में है, जो महामारी के प्रकोप से निपटने के लिए एकदम अपर्याप्त है. लॉकडाउन की अवधि को बुनियादी ढांचे में विस्तार करने के लिए प्रयुक्त नहीं किया गया है—न तो अस्पतालों में बेड बढाने के लिए इसका इस्तेमातल किया गया और न ही आवश्यक पीपीई किट प्रदान करने में और न ही पर्याप्त टेस्टिंग केंद्र स्थापित करने में. लगभग सभी राज्यों में टेस्टिंग की सुविधा की भारी कमी है और इस कमी के चलते कोविड मौतों में

हेरफेर करके कम रिपोर्टिंग की जा रही है, जैसा कि पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश की पार्टी कमेटियों ने रिपोर्ट किया है.

यह स्पष्ट है कि यदि पर्याप्त संख्या में तथा उचित तरह से टेस्टिंग की जाती है तो पॉजिटिव मामलों की तथा मौतों की संख्या में इजाफा होगा. हो सकता यह दोगुनी हो जाए. गंभीर मामलों से निपटने के लिए वेंटीलेटरों की सुविधाएं अस्पतालों में आवश्यक न्यूनतम संख्या में भी उपलब्ध नहीं है. उदाहरण के लिए, बीजेपी के मॉडल राज्य गुजरात के राजधानी शहर अहमदाबाद में केवल 180 वेंटीलेटर उपलब्ध हैं. उस पूरे राज्य में केवल 16 टेस्टिंग लैब हैं. बिहार में पूरे राज्य में केवल आठ टेस्टिंग लैब तथा 50 वेंटीलेटर हैं. मध्य प्रदेश में केवल 20 टेस्टिंग लैब हैं, तथा 25 निर्धारित कोविड हॉस्पिटल हैं, जिनमें आईसीयू और वेंटीलेटर हैं. इनमें से भोपाल और इंदौर में प्रत्येक में केवल चार चार हैं. असम के कुल 34 जिलों में से आधे जिलों में, अर्थात 17 में न आईसीयू बेड हैं और न कोई वेंटीलेटर हैं. पूरे त्रिपुरा में केवल एक टेस्टिंग केंद्र है.

बीजेपी शासित राज्यों के ऐसे ही हालात हैं. केरल को छोड़कर बाकी के लगभग सभी राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं के हालात खराब हैं, और कुछ में तो बहुत खराब हैं.

प्रवासी मजदूरः सभी राज्यों ने बताया था कि प्रवासी मजदूरों का कोई पंजीकरण नहीं है तथा उनकी संख्या के बारे में कोई ठोस आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं. अब इस संकट के तथा प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के बाद से कई राज्यों ने उनकी कुल संख्या तथा विभिन्न राज्यों से लौटने वालों की संख्या बताना प्रारम्भ किया है. सभी रिपोर्टों में प्रवासी मजदूरों की भयानक दुर्दशा को दर्शाया गया है, उनके काम के तथा जिंदगी के हालातों का बयान किया गया है, जैसी कि उन राज्यों में लॉकडाउन से पहले रही थी, जहां वे जीविका कमाने के लिए चले गए थे.

अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार कानून, 1979 के लगातार गैरक्रियान्वयन ने एक ऐसी स्थिति को जन्म दिया है कि किसी भी संस्था के पास–न राज्य सरकार के पास, न उपक्रमों के पास, और न ही ट्रेड यूनियनों के पास –प्रवासी मजदूरों के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है. राहत कार्यों ने उनके एक हिस्से के नजदीक कुछ हद तक पहुँचने में हमारी मदद की है.

लेकिन इसके साथ हमें उनकी संभावित क्षमता का संज्ञान लेना चाहिए. वे केवल अनौपचारिक क्षेत्र से ही नहीं हैं, बल्कि उनके काफी बड़े तबके संगठित क्षेत्र से भी हैं. जिस प्रकार प्रवासी मजदूर सभी दिक्कतों का सामना करते हुए अभी तक अपने गृह राज्यों की ओर लगातार चले जा रहे हैं, वह एक मौन विरोध कहा जा सकता है, हालांकि वह संगठित नहीं है. इसने सभी सम्बद्ध तबकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है, यहाँ तक कि मुख्य धारा का मीडिया भी उनको नजरअंदाज नहीं कर सका है. आज के हालात में देश की उत्पादक ताकतों के सबसे अधिक महत्वपूर्ण हलकों का वे प्रतिनिधित्व करते हैं.

केवल केरल राज्य में सीआईटीयू ने प्रवासी मजदूरों से ट्रेड यूनियन में हिस्सेदारी का आग्रह करने की पहल की है, उनको पंजीकृत किया है, तथा उनको राशन कार्ड एवम अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं. ज्यादातर राज्यों ने यह जानकारी दी है कि उनकी प्रदेश सरकारों ने प्रवासियों के लौटने का प्रतिरोध किया है तथा उनको वापस लाने में अनिच्छा जाहिर की है. ऐसी बातें पश्चिम बंगाल तथा बिहार आदि से आयी हैं. इसके विपरीत गुजरात तथा देश के अन्य स्थानों से संपन्न तीर्थ यात्रियों की खबरें आयी हैं, जिनको लॉकडाउन के शुरूआती दिनों में राज्य के खर्चे पर लक्जरी वाहनों से लाया ले जाया गया था. उधर प्रवासी मजदूरों की आवाजाही के लिए केंद्र सरकार ने कोई इन्तजाम नहीं किये थे. केंद्र सरकार ने यह झूठा दावा किया था कि वह मजदूरों को लाने ले जाने में 85 प्रतिशत खर्चे का वहन कर रही है. अंततः तो राज्य सरकारों द्वारा रेलवे को भुगतान के बाद मजदूरों को लाया, ले जाया जा रहा है और वे राज्य सरकारें फिर मजदूरों से किराया वसूल कर रही हैं.

इस स्थिति से पैदा हुए कुछ गंभीर मसले इस प्रकार हैंः (अ) प्रवासी मजदूरों की वापसी की कोई समरूप नीति नहीं है, (ब) काम करने वाले प्रदेश से घर वापस जाने से पहले स्क्रीनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, (स) वापसी के दौरान शारीरिक दूरी नहीं बनाई गयी, (द) लौटने वाले गृह राज्यों में क्वारंटाइन केन्द्रों का न होना, तथा (य) उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे कुछ राज्यों में इन केन्द्रों की स्थिति असहनीय होने के कारण, जिससे महामारी फैल जाने का खतरा था, मजदूर भाग निकलने को मजबूर हो गए थे. परिणामस्वरूप उनके बीच पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़ रही है, तथा अपने पैतृक स्थानों में उनके वापस पहुंचने से सामाजिक तनावों के बढ़ जाने की संभावना पैदा हो गयी है.

खाद्य सुरक्षाः कई राज्यों ने जानकारी दी है कि निःशुल्क अनाज वितरण की योजना में बहुत सारे लोगों के नाम राशन कार्डों,—बीपीएल,अन्त्योदय आदि—में खामियां होने के कारण शामिल नहीं थे. ये ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जिनको हमें पात्रतानुसार खाद्यान्नों का वितरण न करने तथा कमजोर सार्वजनिक वितरण नेटवर्क की समस्या के साथ उठाना चाहिए.

संकट के इस दौर में दलितों, आदिवासियों तथा महिलाओं के खिलाफ प्रचलित गैर—बराबरियां और अधिक तीव्र हुयी हैं. उधर आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाये गए संवैधानिक प्रावधानों तथा कानूनों को कमजोर किया जा रहा है. महिलाएं खासकर गरीब महिलाएं, जिनको जबरदस्त दरिद्रता के दौर में भी पारिवारिक देखभाल की दुश्वारियों को झेलना पड़ता है, उनमें से हैं जो सबसे अधिक पीड़ित हैं.

जम्मू—कश्मीर

जम्मू—कश्मीर में पिछले वर्ष अगस्त से लागू राजनीतिक लॉकडाउन के ऊपर से यह राष्ट्रीय लॉकडाउन आ गया है. पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती सहित सैकड़ों लोग कठोर सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत अभी भी हिरासत में हैं. केन्द्रीय कमेटी सदस्य मोहम्मद युसूफ तारीगामी सहित बहुत से अन्य लोग अभी भी घरों में नजरबन्द हैं.

इस राष्ट्रीय लॉकडाउन के बाद से कोविड पॉजिटिव मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है. राज्य की स्वास्थ्य सुविधाएं खस्ताहाल हैं तथा पीड़ित लोगों को कोई भी राहत प्रदान नहीं की गयी है. पहले ही से बाधित जिंदगियों को और अधिक पीड़ाप्रद स्थितियों में धकेल दिया गया है.

इन महत्वपूर्ण मसलों को सुलझाने की बजाय केन्द्रीय गृह मंत्रालय, जो जम्मू एवम कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन को अब स्वयं संभालता है, वहां आरएसएस–बीजेपी के राजनैतिक एजेंडा को ही बढ़ाना चाह रहा है. जम्मू एवम कश्मीर के स्थायी निवासी की परिभाषा को अब बदल दिया गया है ताकि बाहर के लोगों को स्थायी निवासी का दर्जा प्राप्त हो जाय, अर्थात सरकारी नौकरी मिल सके तथा वे वहां जमीन खरीदी जा सके. घाटी में जनसांख्यिकीय परिवर्तन लाने का यह आरएसएस का एजेंडा रहा है. इसके साथ जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों तथा नागरिक स्वतंत्रताओं का तीव्र हनन किया जा रहा है. असहमति रेखनेवाले सभी लोगों को आतंकवादी करार दे दिया जाता है, तथा सख्त कानूनों के अंतर्गत उनके ऊपर दमनकारी कार्यवाही की जाती है.

धारा 370 सहित जम्मू एवम कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए, तथा भारत में विलय के समय किये गए सभी वादों को पूरा किया जाना चाहिए. वर्तमान में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसकी आठ महीनों के बाद भी अभी सुनवाई नहीं हुयी है.

अगस्त, 2019 से जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, उनको तुरंत रिहा किया जाना चाहिए, संचार व्यवस्था को पूरी तरह बहाल किया जाना चाहिए तथा लोगों को आवाजाही की पूरी आजादी प्रदान की जानी चाहिए. ऐसा करना दोनों तरह से जरूरी है– महामारी का प्रभावशाली तरीके से सामना करने के लिए भी तथा परेशान लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भी.

प्रोत्साहन पैकेज

20 लाख करोड़ रुपयों का प्रोत्साहन पैकेजः वित्त मंत्री द्वारा पांच किस्तों में घोषित किया गया आर्थिक पैकेज असल में प्रधान मंत्री मोदी के 20 लाख करोड़ रुपयों के प्रोत्साहन पैकेज की भव्य घोषणा का विवरण प्रस्तुत करता है.

आत्मनिर्भरता नहीं, बल्कि आत्म मातहतीः आर्थिक प्रोत्साहन के इस पैकेज को भारत की आत्मनिर्भरता बढाने के नाम पर पेश किया गया है. लेकिन मोदी का यह 20 लाख करोड़ रुपयों का आर्थिक पैकेज भारत की आत्मनिर्भरता को मजबूत करने की बजाय भारत को और अधिक आत्ममातहती की ओर ही ले जाता है. ये प्रस्ताव सीधे सीधे विदेशी एवम देशी कोरपोरेटों की मुनाफाखोरी को प्रोन्नत करते हैं. इस प्रक्रिया में, दरबारी पूंजी को बेहूदा स्तर तक मजबूत करने के रास्ते बनाये जाते हैं, जैसा कि हम पिछले छः वर्षों के दौरान देखते आये

हैं. ये प्रस्ताव भारत की राष्ट्रीय परिसंपत्तियों की महालूट के अलावा और कुछ नहीं हैं. ये अपने आप से महाभ्रष्टाचार के कांडों के रास्ते तैयार करते हैं, जिनका उभरना लाजिमी है.

परिभाषा के अनुसार, किसी आर्थिक पैकेज के मायने होते हैं कि वित्तीय वर्ष के लिए पहले से स्वीकृत बजटीय खर्चों के अतिरिक्त सरकार क्या कुछ और खर्चा करना चाहती है. लेकिन इस पूरे पैकेज में पहले से घोषित अधिकतर योजनाओं की पुनः पैकेजिंग ही शामिल है. बैंकों एवम वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण के प्रावधानों पर अधिक जोर दिया गया है, न कि सरकार के स्तर पर सीधे खर्चों पर.

वास्तविक अतिरिक्त खर्चों की गणना 2 लाख करोड़ रुपयों से कम बैठती है, जो देश की जीडीपी के 1 प्रतिशत से कम है. विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने–अपने तरीके से वास्तविक सरकारी खर्चों की गणना की है, जो देश की जीडीपी के 0.8 प्रतिशत से 1.5 प्रतिशत की रेंज में आते हैं. आज के हिसाब से इस पैकेज को मुश्किल से ही प्रोत्साहन पैकेज की संज्ञा दी जा सकती है.

संसद द्वारा पारित इस वर्ष के खर्चे का बजट 30,42,230 करोड़ रुपयों का है. किसी प्रोत्साहन के मानी होंगे इस धनराशि के ऊपर और अतिरिक्त रूप से दिया जाना पैसा। कोई नहीं जानता कि वाकई इन बजटीय खर्चों को किया गया था अथवा नहीं. अब यह स्पष्ट हो गया है कि कोविड महामारी से पहले ही सरकार के राजस्व में जबरदस्त कमी आ चुकी थी. लॉकडाउन के दौरान हालात और अधिक खराब हुए हैं. इसलिए, यह कहना मुश्किल है कि इन अतिरिक्त खर्चों में से कितना खर्चा वास्तव में हो पायेगा. असल में तो सरकार को अपने राजस्व तथा खर्चों का बजटीय लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे यह पता चले कि वास्तविक प्रोत्साहन कितना बैठता है.

कृषिः इसी प्रकार, सार्वजनिक निवेश के जरिये कृषि संकट से निपटने की बजाय किसानों के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. जो किसान पहले ही से कर्जों के बोझ तले परेशान होकर आत्महत्या कर रहे हों, वे किसी भी दशा में और ऋण लेना नहीं चाहेंगे. पैकेज में कोल्ड स्टोरेज, मार्केटिंग का जिक्र किया गया है, लेकिन उसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम को हटा कर तथा एपीएमसी एक्ट में संशोधन कर अनियमित मूल्य निर्धारण के आधार पर राज्यों के बीच अनाज के स्वतंत्र आवागमन को अनुमति प्रदान करना ही महत्वपूर्ण है. भविष्य में देश की खाद्य सुरक्षा के मद्देनजर इसके गंभीर निहितार्थ होंगे. उत्पादक, अर्थात किसान, तथा उपभोक्ता, दोनों ही का बिचौलियों के हाथ जबर्दस्त शोषण हो सकता है, जो मुनाफे बढाने की नीयत से कृत्रिम अभाव तथा अनाज की कमी की स्थितियों को भी पैदा कर सकते हैं. समर्थन मूल्य पर खरीद के जरिये किसानों को जो भी थोड़ी सी सुरक्षा उपलब्ध थी, वह समाप्त हो जायेगी. देश में कुछ हद तक जो भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली मौजूद है, उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा. महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कदम बड़े बहुराष्ट्रीय एग्रोबिजनेस तथा घरेलू कोरपोरेटों के प्रवेश के रास्तों को खोल देंगे, जिससे वे भारत के कृषि

उत्पादों तथा बाजारों तक अपनी पहुँच कायम कर लेंगे. 'ठेका खेती' के दिशा निर्देश भी प्रस्तावित किये गए हैं.

वित्त मंत्री ने जो आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, उनके अनुसार 2000 रुपये प्रति किसान की दर से प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 18,700 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है. इसका अर्थ यह है कि इस धन राशि को 9.35 करोड़ किसानों के बीच बांटा गया है, जबकि इस योजना के तहत 14 करोड़ किसानों तक धन राशि को पहुंचाया जाना था.

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाः पिछले वर्ष इस योजना के तहत 8.23 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराया गया था. वर्ष 2019–20 में एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को 100 दिन का काम दिया जाना है, जिसके लिए सरकार को कम से कम 2,46,000 करोड़ रु0 का आवंटन करना चाहिए. इसके एवज में सरकार ने पूरे वर्ष के लिए मात्र 90,000 करोड़ रु0 ही आवंटित किये हैं. इसलिए प्रोत्साहन पैकेज में जो अतिरिक्त 40,000 करोड़ रु0 दिए गए हैं, वह हर प्रकार से अपर्याप्त है.

खाद्य वितरणः इस सरकार ने अनाज के मुफ्त वितरण के लम्बे चौड़े दावे किये हैं. लेकिन वास्तविकता इस प्रकार से हैः

– वर्तमान में एफसीआई के पास 8.78 करोड़ टन का खाद्यान्न भण्डार है.

– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हर माह राज्यों को 43 लाख टन का आवंटन किया जाता है.

– सरकारी दावों के अनुसार यदि प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाना था, तो राज्यों को आवंटन दो गुना कर दिया जाना चाहिए था.

– लेकिन अप्रैल में प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत केवल 26 लाख टन तथा मई में 29 लाख टन अतिरिक्त अनाज ही आवंटित किया गया है.

एमएसएमईः प्रोत्साहन पैकेज में एमएसएमई इकाइयों के लिए कुल 3.5 लाख करोड़ रुपयों के अतिरिक्त ऋण का प्रावधान किया गया है. इसके पहले केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सार्वजनिक रूप से बताया था कि सरकारी संस्थाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के ऊपर एमएसएमई क्षेत्र का 5 लाख करोड़ रुपयों का बकाया है. इस बकाये के भुगतान की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है.

इस पैकेज में आरबीआई द्वारा पूर्व में घोषित 5.2 लाख करोड़ के ऋणों का पैकेज भी शामिल है, जिसमें ब्याज, 2010 के स्तर से भी कम दर पर लागू होनी थी. लेकिन उस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया. इसलिए एमएसएमई क्षेत्र के लिए अधिक ऋणों का प्रावधान करने से कोई सुधार आने वाला नहीं है.

राज्यों के अधिकारों पर हमले

महामारी का सामना करने में राज्य सरकारें सबसे आगे हैं. कोई संसाधन उनको आवंटित हों, यह तो दूर की बात है, जीएसटी के उनके जो वाजिब फण्ड हैं, उनके भुगतान

तक का भी पैकेज में आश्वासन नहीं दिया गया है. राज्यों की उधारी की सीमा को अब राज्य जीडीपी के 3 से बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. लेकिन अधिकतम सीमा में इस बढ़ोत्तरी के कोई मायने नहीं होते हैं, क्योंकि इस उधारी को व्यावसायिक तौर पर ही प्राप्त किया जा सकता है और तब उच्च ब्याज दरें राज्यों को अधिक कर्जों में डुबा देंगी. कायदे से तो घोषित रेपो रेट पर आरबीआई को राज्यों द्वारा जारी बॉन्डों को खरीद लेने के कदम उठाने चाहिए. लेकिन इस पैकेज में ऐसा कोई हवाला नहीं दिया गया है. इससे भी खराब बात यह है कि आपदा राहत फण्ड से राज्यों को प्राप्त वैधानिक रूप से अनिवार्य ट्रान्सफरों का श्रेय खुद केंद्र सरकार ले रही है तथा उन्हें प्रोत्साहन पैकेज अथवा केंद्र की दानशीलता बता रही है. प्रधानमंत्री के नाम पर स्थापित प्राइवेट ट्रस्ट में महामारी का सामना करने के लिए जो हजारों करोड़ रुपये इकठ्ठा किये गए हैं, उनको तुरंत राज्यों को ट्रान्सफर किया जाना चाहिए.

इस पैकेज के ऐसे ही विभिन्न पहलू हैं, जिनके विश्लेषण से यह पता लगता है कि उनमें से अधिकतर दीर्घकालिक उपाय हैं, और इस पैकेज में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे अर्थव्यवस्था को अथवा दुःख तकलीफें झेलती जनता को कोई तत्काल राहत प्रदान की जा सके.

सी पी आइ (एम) का वैकल्पिक आर्थिक कार्यक्रम

वर्तमान स्थिति में लागू किये जाने लायक एक आर्थिक कार्यक्रम का सुझाव पार्टी ने सार्वजनिक किया था. भारत के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा विपक्षी दलों के नेताओं को भेजते हुए हमने एक ऐसी आर्थिक योजना को पेश किया था, जिसको सरकार द्वारा तुरंत लागू किया जा सकता था. आर्थिक संकट तथा उससे जुड़ी जनता की पीड़ा का सामना ऐसे उपायों से किया जा सकता था, जिनमें कुछ तात्कालिक, कुछ मध्यावधि, तथा कुछ दीर्घावधि प्रकृति के उपाय थे. इन तीनों प्रकार के उपायों की शुरुआत तत्काल प्रभाव से की जानी चाहिए थी.

इस योजना में एकदम ठीक से यह पहचान कर ली गयी थी कि भारत की अर्थव्यवस्था की, जो कि महामारी के पहले से ही मंदी के दौर में प्रवेश कर रही थी, मुख्य समस्या उसकी घरेलू मांग के स्तर में तेजी से आयी गिरावट है. हमारी जनता के हाथों में खरीद शक्ति में इतनी तेजी से गिरावट पैदा हुयी कि महामारी से पहले ही अर्थव्यवस्था में मांग की इस कमी की वजह से सब तरफ औद्योगिक इकाइयां बंद होने लगीं थीं तथा बड़ी संख्या में नौकरियां खत्म होने लगी थी. राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौर में यह स्थिति और अधिक बिगड़ गयी है. इसलिए किसी भी आर्थिक योजना को तात्कालिक, अल्पकालिक तथा दीघकालिक सन्दर्भों में जनता के हाथों में क्रय शक्ति बढाने के आधार पर अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के प्रमुख मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए.

वर्तमान सन्दर्भ में पार्टी ने यह मांग की है कि तीन महीने तक आयकर से बाहर हर परिवार को प्रति माह 7,500 रु0 का सीधे नकद भुगतान किया जाय. इससे उन्हें जीवनयापन के लिए कुछ धन उपलब्ध हो जाएगा. इसके अतिरिक्त, जिस प्रकार भुखमरी तथा कुपोषण फैले

हुए हैं, उसमें सभी जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज प्रदान करने की तुरंत आवश्यकता है. इसलिए, प्रति व्यक्ति प्रति माह केन्द्रीय सरकार के गोदामों में अनाज के भंडारों से 10 किलो अनाज अगले छः महीनों तक मुफ्त प्रदान किया जाना चाहिए. उधर प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक निःशुल्क पहुंचाया जाना चाहिए.

सार्वजनिक निवेशः लोगों की क्रय शक्ति को ऋण के प्रावधानों के जरिये नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष सरकारी खर्चों के माध्यम से बढाया जा सकता है. बड़े पैमाने पर सार्वजनिक निवेश के कार्यक्रमों को चलाया जाना चाहिए, ताकि बेहद आवश्यक बुनियादी ढ़ांचे का निर्माण किया जा सके. निजी पूंजी के भरोसे सफलता कभी नहीं मिल सकती है, क्योंकि मुनाफे पैदा करने में लगने वाला लम्बा वक्त उन्हें ऋण के जरिये प्राप्त पूंजी के ब्याज के भार को सहन करने में अक्षम बना देगा.

बुनियादी ढ़ांचे के निर्माण के लिए इस प्रकार के सार्वजनिक निवेश से करोड़ों की संख्या में नई नौकरियां पैदा होंगी. और जैसे ही मजदूर अपने वेतन में से खर्च करने लगेंगे, घरेलू मांग में इजाफा होने लगेगा, जिससे बंद पड़ी फैक्टरियों तथा एमएसएमई इकाइयों के पुनः चालू होने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी.

लेकिन, सरकार के आर्थिक पैकेज में कोरपोरेटों तथा एमएसएमई इकाइयों को निवेश के लिए पूंजी तक अधिक से अधिक पंहुच प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है. कोर्पोरेट तो तभी निवेश करेंगे, जब उन्हें मुनाफों के आसार दिखलाई देंगे. जब अर्थव्यवस्था में मांग ही नहीं है, जब ऐसे निवेश के जरिये उत्पादित सामानों की न तो घरेलू बाजार में बिक्री हो सकती है, और न ही वैश्विक आर्थिक सुस्ती के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तब फिर मुनाफे पैदा करने की कोई संभावना नहीं बन सकती है. वित्तपोषण की सुविधा को सरकार चाहे जितना बढ़ा दे तथा वित्तपोषण की लागत को वह चाहे जितना कम कर दे, जब तक अर्थव्यवस्था में मांग काफी हद तक नहीं बढ़ जाती है, तब तक काम बन नहीं सकता है. इसलिए, यह 20 लाख करोड़ रु0 का आर्थिक पैकेज न तो अर्थव्यवस्था में जान फूंक सकता है, और न ही हमारी जनता को राहत पहुंचा सकता है.

आरएसएस–बीजेपी एजेंडे का आक्रामक क्रियान्वयन

बीजेपी की केंद्र सरकार कोविड महामारी तथा राष्ट्रीय लॉकडाउन की आड़ में नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों को आक्रामक ढ़ंग से लागू करने के साथ ही साथ हिंदुत्व के अपने एजेंडे को आगे बढाने में लगी है.

पहली बात तो यह है कि तथाकथित प्रोत्साहन पैकेज के जरिये, जिसकी प्रधानमंत्री मोदी ने देश के जीडीपी का 10 प्रतिशत बताकर घोषणा की थी, इस सरकार ने नव–उदारवादी आर्थिक सुधारों की दिशा में एक आक्रामक रुख अपनाया है. भारत की आत्म–निर्भरता के नाम पर घोषित आर्थिक पैकेज असल में भारत की आत्मअधीनता का ही ब्लूप्रिंट है. ये प्रस्ताव विदेशी और देशी कोरपोरेटों के अधिकतम मुनाफों को सीधे तौर पर प्रोन्नत करने

वाले प्रस्ताव हैं. हमारी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को विदेशी पूंजी के लिए स्वतः 74 प्रतिशत तक निवेश के लिए खोल दिया गया है, जिसमें रक्षा उत्पादन तथा आणविक ऊर्जा भी शामिल हैं. अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण किया जा रहा है. यह दरबारी पूंजी को बेहूदा स्तर तक मजबूत करने वाला होगा, जैसा कि हम इस सरकार के चलते पिछले छः वर्षों से देख रहे हैं. यह मुनाफों को अधिकतम स्तर तक बढाने का निर्मम रास्ता है, जिसके मानी होते हैं कि कामगार जनता के शोषण में भी उतनी ही तेजी आएगी.

मजदूरों के शोषण में तेजी को आसान बनाने के लिए सभी श्रम कानूनों को रद्द किया जा रहा है, जिनमें 8 घंटे का कार्य दिवस तथा और भी गौरतलब मजदूर वर्ग के संघर्षों से हासिल अधिकार शामिल हैं. यह सीधे सीधे लूट तथा मजदूरों के खिलाफ आक्रामकता का सम्मिश्रण है.

दूसरे, कोविड महामारी का सामना करने के नाम पर आरएसएस–बीजेपी, मुस्लिम धार्मिक अल्पमत को लक्ष्य करके साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज कर रहे हैं. इस दौर को उन लोगों को निशाना बनाने में भी प्रयुक्त किया जा रहा है, जिन्होंने सीएए–एनआरसी–एनपीआर के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया था. उन लोगों को कठोर प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है. साथ ही एक बार फिर से इन गिरफ्तारियों में साम्प्रदायिक प्रोफाइलिंग को शातिराना तरीके से लागू किया जा रहा है. फेक न्यूज के जरिये सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ 'कोरोना जिहाद' जैसे विषैले अभियान चलाये जा रहे हैं.

तीसरे, असहमति की सारी आवाजों, जनतांत्रिक अधिकारों, नागरिक स्वतंत्रताओं, अल्पसंख्यकों एवम हाशिये पर पड़े तबकों के अधिकारों की हिमायत करने वाले सभी कार्यकर्ताओं को देशद्रोह, यूएपीए, एनएसए जैसे कानूनों के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है. मीडियाकर्मियों को, जो सरकार एवम उसकी नीतियों से असहमति प्रकट करते हैं, उनको परेशान, उत्पीड़ित, तथा गिरफ्तार किया जा रहा है.

चौथा, लॉकडाउन की इस अवधि का उपयोग केन्द्र सरकार के हाथों में सारे अधिकारों तथा शक्तियों के केन्द्रीयकरण की मुहिम को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें चुनी हुयी राज्य सरकारों के अधिकारों एवं संघवाद के सिद्धांतों की पूरी अवहेलना की जा रही है, जो हमारे संविधान की एक मूलभूत खासियत है. यह बीजेपी सरकार की एक ऐसी एकात्मक राजसत्ता कायम करने की मुहिम है, जिसमें निगरानी आधारित 'सुरक्षा राज्य' के लक्ष्य को तथा आरएसएस की फासीवादी परियोजना को सुगम बनाया जा सके. सारे फैसलों को एकतरफा ढ़ंग से प्रधानमंत्री तथा केंद्र सरकार द्वारा लिया जा रहा है तथा राज्यों पर इन एकतरफा फैसलों के परिणाम भुगतने का बोझ डाला जा रहा है.

पांचवां, मोदी तथा बीजेपी की केंद्र सरकार द्वारा इस अवधि का उपयोग भारत को अमेरिकी साम्राज्यवाद के मातहत बनाये रखने की मुहिम को और अधिक मजबूत बनाने में किया जा रहा है. अमेरिका द्वारा चलाये जा रहे पूरे चीनविरोधी अभियान में भारत ने अमेरिका

समर्थक रवैया अपनाया हुआ है. भारत की विदेश नीति के लिए, खासकर हमारे पडोसी राष्ट्रों के साथ संबंधों के मामले में इसके गंभीर निहितार्थ हैं. लद्दाख में चीन के साथ नियंत्रण रेखा पर तथा नेपाल के साथ भारत द्वारा उनकी तथाकथित संप्रभु जमीन पर सड़क निर्माण को लेकर पहले से ही तनाव की रिपोर्ट आ रही हैं. अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने इस प्रकार की मातहती भारत तथा हमारी जनता के हित में नहीं है.

ये ही हैं वे वास्तविक मंसूबे, जिनको पूरा करने के प्रयास यह बीजेपी की सरकार कर रही है, जबकि सरकार का, लोगों का तथा देश का एकचित्त ध्यान इस महामारी को रोकने, लोगों की जान बचाने तथा लॉकडाउन से बदतर हुयी लोगों की मुश्किलों से उनको छुटकारा दिलाने पर दिया जाना चाहिए.

आगे के कार्य

इन हालातों में, महामारी के बढ़ते प्रकोप के चलते सभी आवश्यक सावधानियां बरतते हुए, पार्टी को निम्नांकित कार्य करने होंगेः

1. **स्थानीय मुद्देः** कोविड महामारी तथा लॉकडाउन की वजह से स्थानीय स्तर पर बहुत सारे मुद्दे होंगे–जीविका के मुद्दे, अनाज एवं राशन, मंहगाई, स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि. इन मुद्दों पर पार्टी एवं जन संगठनों को सम्बंधित क्षेत्रों, जिलों में हालात को देखते हुए अभियान एवं संघर्ष चलाने चाहिए. इन अभियानों की शैली ध्यानपूर्वक ऐसे तय की जानी चाहिए कि आवश्यक सावधानियों जैसे कि शारीरिक दूरी, मास्कों का प्रयोग आदि का पालन किया जा सके. स्थिति में सुधार के साथ गतिविधियों को बढ़ाया जा सकता है. क्रमशः राज्यस्तरीय एवं अखिल भारतीय अभियान चलाये जा सकते हैं.

2. **प्रवासी मजदूरः** प्रवासी मजदूरों के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, जिनको राज्य कमेटियों द्वारा उठाया जाना आवश्यक है. अब जबकि कई राज्य कमेटियों के पास प्रवासी मजदूरों के बारे में ठोस जानकारियां उपलब्ध हैं, तो उन्हें संगठित करने तथा यूनियन बनाने के लिए पहल की जानी चाहिए. राज्य के ट्रेड यूनियन संगठन को विश्वास में लेकर तथा सलाह मशविरा करके इन प्रयासों को मजबूत किया जाना चाहिए. प्रवासी मजदूर, मेहनतकश वर्ग के आधार स्तम्भ हैं. हालांकि ये मजदूर मुख्य रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, लेकिन उनमें से बहुत से नियमित, अस्थायी तथा संविदा मजदूर एवं ट्रेनी हैं. हमें प्रवासी मजदूरों से सम्बंधित एक मांग पत्र तैयार करना चाहिए तथा उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए. हमें अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम, 1979 को रद्द करने के प्रस्ताव का विरोध करना चाहिए, और यह मांग करनी चाहिए कि इस अधिनियम को मजबूत बनाया जाए.

3. **सार्वजनिक स्वास्थ्यः** सभी राज्य इकाइयों को चाहिए कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने के अभियान के वास्ते कार्ययोजना तैयार करें. इस दौरान उस व्यवस्था में व्याप्त कमियां पूरी तरह उजागर हो गयी हैं. कई राज्यों के पास उसके विवरण उपलब्ध हैं. जहां–जहां सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, स्थानीय

स्तर के अस्पतालों तथा जिला स्तर के अस्पतालों आदि के ठोस मुद्दों को उठाया जाना चाहिए. पार्टी हमेशा से यह मांग करती रही है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के ऊपर केन्द्रीय खर्चे को, जो आज भी जीडीपी के एक प्रतिशत से कम है, बढ़ाकर कम से कम तीन प्रतिशत किया जाय. अखिल भारतीय स्तर पर इस मांग को उठाया जाना चाहिए.

4. **बेरोजगारीः** बेरोजगारी के मसले पर, जैसा कि पूर्व में जिक्र किया गया है, पार्टी तथा जन संगठनों को, खासकर ट्रेड यूनियनों को वाम एवं जनवादी तबकों की एकता के लिए पहल करनी चाहिए. प्रत्येक राज्य के हालातों के मद्देनजर समुचित मांगों को उठाया जाना चाहिए, जिनमें बेरोजगारी भत्ते जैसे मुद्दे भी शामिल हों. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का विस्तार करके बढे हुए वेतन पर वर्ष में कम से कम 200 दिनों का काम प्रदान किया जाना चाहिए. रोजगार गारंटी योजना का शहरी गरीबों तक विस्तार किया जाना चाहिए, जिसके साथ सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की तुरंत घोषणा की जानी चाहिए.

5. **शिक्षाः डिजिटल विभाजन नहीं चाहिएः** लॉकडाउन ऐसे वक्त पर आया जब शिक्षा सत्र समाप्त होने को था, तथा परीक्षाएं होने जा रही थीं. इसने छात्रों की एक पीढी के भविष्य को दांव पर लगा दिया है. इससे हमारे देश का भविष्य भी बाधित हो गया है. इस स्थिति का फायदा उठाकर केंद्र सरकार अपनी पश्चगामी शिक्षा प्रणाली को क्रियान्वित करने की कोशिश कर रही है, जिसको संसद का अनुमोदन प्राप्त नहीं है, तथा अध्यापन/अध्ययन के डिजिटल तौर तरीकों को लादा जा रहा है. देश की शिक्षा व्यवस्था पर डिजिटल विभाजन को ऊपर से नहीं थोपा जाना चाहिए, नहीं तो भारत के भविष्य पर खराब प्रभाव पड़ेगा. पार्टी हमेशा से स्कूलों एवं कॉलेजों में डिजिटल तौर–तरीकों से परम्परागत अध्यापन प्रणाली को विस्थापित करने का विरोध करती रही है तथा आज भी इसका विरोध करती है. हालांकि महामारी के इस दौर में, तथा इसके फलस्वरूप पैदा हुए व्यवधान की स्थिति में शैक्षणिक सत्र को बचाने के लिए डिजिटल प्रणाली का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इससे स्थानापन्न नहीं किया जा सकता है. इसका उपयोग भी तभी किया जाना चाहिए जब सम्बंधित क्षेत्र में सभी छात्रों की डिजिटल उपकरणों तक सार्वभौमिक पहुंच संभव हो. शिक्षा के क्षेत्र में पार्टी डिजिटल विभाजन का विरोध करती है. केंद्र तथा राज्य सरकारों को चाहिए कि वे शिक्षा सत्र का पुनर्निर्धारण कर दें, ताकि परीक्षाएं सामान्य तौर पर हो सकें, तथा छात्रों का एक वर्ष बर्बाद न हो. हर राज्य की परिस्थिति का मूल्यांकन कर, सम्बंधित जनसंगठन एवं अन्य शैक्षणिक–बौद्धिक–राजनैतिक इकाइयों के साथ सलाह मशविरा करने के उपरान्त पार्टी को ठोस कार्यवाही के लिए कार्य योजना तैयार करनी चाहिए.

6. **नव –उदारवादी सुधारः** सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण तथा श्रम कानूनों को रद्द करने का मजबूती से विरोध किया जाना चाहिए.

7. **ग्रामीण बदहालीः** इस लॉकडाउन ने गहराते ग्रामीण संकट को और अधिक गहरा दिया है. इन हालातों में यह आवश्यक हो गया है कि फसलों की खरीद ऐसे समर्थन मूल्य पर हो

जो उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत अधिक हो. वर्तमान संकट से उबरने तथा तंग आकर और आगे आत्महत्या करने से रोकने के लिए सभी किसानों के ऋणों को एकबारगी माफ किया जाना चाहिए.

8. **अल्पसंख्यकः** राष्ट्रीय लॉकडाउन की वजह से सीएए–एनपीआर–एनआरसी के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को मिले जनसमर्थन का प्रवाह बिखर सा गया है. जैसा कि पूर्व में जिक्र किया गया है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा एवं उन पर किये जा रहे हमलों से बचाव बहुत आवश्यक है. अल्पसंख्यकों को पार्टी में तथा जन संगठनों में लाने के हर संभव प्रयास किये जाने चाहिए.

9. **लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षाः** शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनकारियों तथा राजनैतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ, प्रेस की स्वतंत्रता के खिलाफ तथा लोकतांत्रिक अधिकारों एवं नागरिक स्वतंत्रताओं के खिलाफ यूएपीए, राष्ट्रद्रोह अधिनियम तथा एनएसए जैसे कठोर कानूनों के प्रयोग का कड़ा विरोध किया जाना चाहिए, जिनको इस दौरान तेज कर दिया गया है.

10. **केरल मॉडलः** जिस प्रकार हमारी पार्टी के नेतृत्व में केरल की एलडीएफ सरकार ने महामारी का सामना करने के लिए तथा जनता की चिंताओं के निवारण के लिए प्रयास किये हैं, उनको हमारे एक विकल्प के रूप में पेश किया जाना चाहिए. पार्टी कमेटियों को आखिर में दिए गए संलग्नक के अनुसार इस खासियत का प्रचार प्रसार करना चाहिए कि दूसरों के मुकाबले, खासकर बीजेपी की राज्य सरकारों के मुकाबले वाम–लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकार ने किस प्रकार संकट का सामना किया है. इसके अतिरिक्त राज्य कमेटियां केरल के नेताओं–मंत्रियों के आभासीय व्याख्यान आयोजित कर सकती हैं.

11. **वाम एकता को मजबूत करेंः** इन हालातों में जब लोग गंभीर परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तब वाम पक्षीय विकल्प एवं समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करने के लिए वाम दलों की संयुक्त कार्यवाइयां बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं. वाम दलों के साथ देश में सभी स्तरों पर मजबूत समन्वय एवं संयुक्त कार्यवाइयों की योजना बनाकर उनको क्रियान्वित किया जाना चाहिए.

12. **संयुक्त कार्यवाइयों का निर्माण होः** लॉकडाउन की समाप्ति के बाद, पिछले दो महीनों में जनता के असंतोष में जो वृद्धि हुयी है, उसके कारण विभिन्न तबकों के बीच स्वतःस्फूर्त कार्यवाइयां पैदा हो सकती हैं. पार्टी एवं जन संगठनों को इन मुद्दों पर सचेत रूप से हस्तक्षेप करना चाहिए तथा पहल करने के लिए तैयार रहना चाहिए. जो भी लोग जनता के मुद्दों की हिमायत में साथ आने के इच्छुक हों, उन सभी के साथ संयुक्त कार्यवाहियों का निर्माण करने का प्रयास किया जाना चाहिए. खास तौर पर हमें लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा से जुड़े एवं जेल में डाले गए उन लोगों की रिहाई से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहिए, जिन लोगों को

सरकार के खिलाफ असहमति जताने के लिए गढ़े हुए अपराधों के बहाने गिरफ्तार किया गया है.

13. **आरएसएस–बीजेपी के खिलाफ राजनैतिक अभियान को मजबूत करोः** हमारी राजनैतिक मुहिम आरएसएस–बीजेपी के खिलाफ केन्द्रित होनी चाहिए, जो अपने ही एजेंडे को आगे बढाने में लगे हुए हैं. लॉकडाउन के प्रतिबंधों में ढील के बावजूद सार्वजनिक रैलियों, विरोध एवं संघर्षों पर प्रतिबन्ध जारी रहने की संभावना है. आरएसएस–बीजेपी के एजेंडे को आगे बढाने के लिए मजदूरों एवं जनता का दमन जारी रहने वाला है. राजनीतिक अभियान के हिस्से के रूप में इन मसलों का विरोध जारी रखना होगा.

सांगठनिक कार्य

1. जब तक कोविड–19 का टीका विकसित नहीं हो जाता, तब तक खतरे बने रहेंगे. इसलिए हमारे कामरेडों को चाहिए कि वे शारीरिक दूरी तथा मास्कों का प्रयोग जैसी सभी सावधानियां बरतते रहें. कार्यक्रमों का आयोजन इन जरूरी सावधानियों के साथ करें.
2. लॉकडाउन के दौरान सभी कमेटियों ने डिजिटल–विडियो संवाद प्रणाली का उपयोग किया है. संवाद की ऐसी तकनीकी प्रणालियों के माध्यम से पार्टी बड़ी संख्या में जनता के नजदीक तक पंहुच पायी है. इसलिए, तकनीकी संवाद के इन तौर–तरीकों का हमारी सामान्य गतिविधियों के साथ इस्तेमाल होत रहना चाहिए. पार्टी के सोशल मीडिया को और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए.
3. लॉकडाउन की अवधि के दौरान हमारी पार्टी ने राहत कार्यों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. इन संपर्कों को और अधिक मजबूत बनाकर उन लोगों को सांगठनिक ढांचों में शामिल करने के प्रयास किये जाने चाहिए.
4. वर्तमान हालातों में जरूरी सावधानियों एवं प्रतिबंधों का सख्ती से पालन करते हुए (डिजिटल उपायों के उपयोग सहित), ब्रांच समेत सभी पार्टी कमेटियों के कामकाज को फिर से शुरू किया जाना चाहिए.

,,

संलग्नक

केरल मॉडल

कोविड महामारी की चुनौती का एलडीएफ सरकार तथा पार्टी किस प्रकार सामना कर रही है

कोरोना वायरस के संक्रमण के सबसे पहले केस की पहचान, वुहान, चीन से लौटे एक छात्र में केरल में 30 जनवरी, 2020 को हुयी थी. लेकिन वायरस के फैलने की रोकथाम का काम केरल में काफी पहले शुरू हो गया था. वास्तव में तो जैसे ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको वैश्विक सानुपात की महामारी घोषित किया था, राज्य सरकार ने वायरस को रोकने के आधार कार्यों की शुरूआत कर दी थी. सरकार के पूरे प्रशासनिक तंत्र को वायरस को फैलने से

रोकने की मुहिम में लगा दिया गया था. राज्यस्तरीय नियंत्रण केंद्र सहित तमाम निकायों की स्थापना की गयी तथा कोविड–19 की रोकथाम के लिए आचार संहिता तैयार कर ली गयी थी.

टीके अथवा दवाइयों की अनुपलब्धता के चलते प्रयास यह किया गया कि संक्रमण के प्रसार को स्वास्थ्य के मौजूदा बुनियादी ढ़ांचे के अन्दर ही सीमित कर दिया जाय. इसके हिस्से के रूप में कोविड–19 रोगियों के लिए 1,296 सरकारी तथा 866 निजी अस्पतालों में 1,31,606 बिस्तरों की व्यस्था कर ली गयी. इसके अतिरिक्त, सरकारी एवं निजी अस्पतालों में 2,378 वेंटीलेटरों की व्यस्था कर ली गयी. संक्रमण के बहुत अधिक फैल जाने की स्थिति में सरकार के विभिन्न विभागों ने आपातकालीन स्थितियों के लिए भवनों की पहचान भी कर ली थी. सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों में, अस्पतालों में तथा बड़े निजी अस्पतालों में रोगियों की निगरानी तथा इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड स्थापित कर लिए गए थे.

तत्पश्चात व्यक्तिगत स्वच्छता के सम्बन्ध में एक प्रभावशाली अभियान चलाया गया तथा विश्व स्तरीय टेस्टिंग सुविधाओं की व्यवस्था की गयी. 'दिशा' नामक एक राज्यव्यापी कॉल सेंटर की शुरुआत की गयी, जिसमें अभी तक एक लाख से अधिक फोन कॉल का निपटारा किया गया है. वायरस के हमले के मनोवैज्ञानिक पहलू से निपटने की ओर भी ध्यान दिया गया है. वालंटियरों तथा दूरसंचार परामर्शदाताओं के दल काम पर लगा दिए गए थे.

कोविड–19 का सामना करने में केरल सरकार की एक अन्य महत्वपूर्ण पहल यह थी कि लॉकडाउन की वजह से जनता के विभिन्न तबके जिन दिक्कतों का सामना कर रहे थे, उनसे निपटने के उपाय किये गए तथा कोविड–19 के प्रसार पर नियंत्रण के लिए अन्य उपाय किये गए. राज्य सरकार ने उन सभी लोगों को राहत, सहायता एवं मदद पहुंचाने के लिए 20,000 करोड़ रुपयों के एक पैकेज की घोषणा की है, जिनकी नौकरियां तथा जीविका समाप्त हो गयी हैं. राज्य सरकार ने अग्रिम सामाजिक सुरक्षा पेंशन मुहैया कराने के लिए 54 लाख लाभार्थियों को 4,709 करोड़ रुपयों का भुगतान किया. कल्याण बोर्डों ने 73 लाख कामगारों को 1,000 रु0 प्रति व्यक्ति के हिसाब से भुगतान किया. गरीबी रेखा से नीचे राशनकार्डधारकों को एक महीने में 35 किलो अतिरिक्त मुफ्त चावल मुहैया कराया गया. कार्डधारकों के अन्य तबकों को, जिनमें गरीबी रेखा से ऊपर के तथा गैरप्राथमिकताप्राप्त कार्ड वाले लोग शामिल हैं, 15 किलो चावल मुफ्त बांटा गया. सभी कार्डधारकों को –चाहे वे गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले हों या गरीबी रेखा के ऊपर रहनेवाले–आवश्यक वस्तुओं की 87.59 लाख किट मुफ्त में बांटी गयीं. इसमें 879 करोड़ का खर्चा आया.

एक और पहलू सरकार का वह संकल्प था कि राज्य में एक भी व्यक्ति भुखमरी का शिकार न होने पाए. इसके लिए मुफ्त राशन, रसद, तथा सामूहिक भोजनालयों के जरिये मुफ्त भोजन का प्रावधान किया गया. 1,034 पंचायतों, नगर निगमों तथा महा पालिकाओं में 1,137 सामूहिक भोजनालय स्थापित किये गए. 30 अप्रैल की स्थिति के अनुसार सामूहिक भोजनालयों

के माध्यम से 1,33,882 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया, जिनमें से 1,07,128 को मुफ्त तथा अन्य को 20 रु0 रुपये की दर से भोजन के पैकेट दिए गए.

इसी प्रकार, अतिथि मजदूरों को आश्रय तथा मुफ्त भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के कदम उठाये गए. समूचे केरल में 19,902 शिविरों में 3,52,515 अतिथि मजदूरों को ये सुविधाएं प्रदान की गयीं. गृह विभाग द्वारा उन्हें विशेष पहचान पत्र जारी किये गए हैं. उनको अपने अपने राज्यों में स्पेशल ट्रेनों के जरिये भिजवाने की योजना को राज्य सरकार क्रियान्वित कर रही है.

कोविड–19 महामारी तथा उस पर काबू पाने के लिए उठाये गए कदमों, जैसे कि लॉकडाउन, के कारण सामानों के उत्पादन तथा सेवाओं पर अचानक से पूर्ण विराम लग गया है. इस आघात के प्रभाव को कम करने के लिए, अप्रवासी केरलवासियों से फण्ड की आमद जैसे जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं.

पूरी पार्टी एवं जन संगठन कोविड –19 के फैलाव को रोकने तथा राहत सामग्री के वितरण में सक्रिय रहे हैं. पार्टी ने जागरूकता अभियान में तथा रोकथाम के कार्यों में सक्रिय हिस्सेदारी की है. पार्टी के सदस्य भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं को इकठ्ठा करने तथा जरूरतमंदों में उनका वितरण करने के काम में पूरी तरह शामिल रहे हैं. पार्टी की इकाइयों ने मास्क बनाने तथा उन्हें एवं सेनिटाइजरों को लोगों के बीच, तथा पीपीई किटों को स्वास्थ्य कर्मियों के बीच वितरित करने का काम भी किया है. राज्य सरकार अब अप्रवासी केरल के नागरिकों को देश और विदेश से वापस लाने के प्रयासों में जुटी है. लगभग 4 लाख प्रवासियों ने केरल लौटने का आवेदन किया है. इससे संक्रमण की दूसरी लहर पैदा हो सकती है. एलडीएफ सरकार एवं पार्टी इस चुनौती से निपटने की तैयारी कर रही हैं. जैसा कि इस ग्राफ से स्पष्ट होता है कि समतल वक्र फिर से उठ रहा है. ''''''''''''''